प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
स्वामी श्री शिव चैतन्य सर्व व्यापी आश्रम ग्राम कोरा तहसील भीनमाल जिला जालोर		राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीनमाल
प्रकरण अपील		02/2020
कम्प्यूटर आई.डी		2020/00111

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

21.1.2020	**अपीलांट ने यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भेजते हुये जवाब प्राप्त किया जावे व जवाब की प्रति अपीलांट को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु लिखा जावे। पत्रावली 05.02.2020 को जवाव/बहस हेतु पेश हो।** Sd/- प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर	
05.02.2020	अपीलांट उपस्थित एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी अनुपस्थित ।सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)भीनमाल का जवाब प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)भीनमाल ने जवाब दिनांक 04.02.2020 में व्यक्त किया है, कि अपीलांट का सूचना के अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र दिनांक 20.12.2019 के क्रम में आवेदित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक/2-5 दिनांक 01.01.2020 द्वारा अपीलांट को भिजवाई जा चूकी है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कार्यालय में उपलब्ध सूचना ही उपलब्ध करवाई जाती है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमावे। सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भीनमाल) द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना के संबध में तहसीलदार भीनमाल द्वारा कार्यालय में उपलब्ध सूचना अपीलांट को जरिए पत्रांक/2-5 दिनांक 01.01.2020 को सूचना भिजवाया जाना पाया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। Sd/- प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर	